अन्र्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रदेशभर में आयोजित किए गए मतदाता जागरुकता कार्यक्रम

– सिडकुल, जिला उद्योग केंद्र समेत विभिन्न आद्यौगिक क्षेत्रों में लगाए गए मतादाता शिविर

– पर्वतीय जनपदों में एवं मनरेगा श्रमिकों को किया गया जागरुक

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशं पर अन्र्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में वृह्द मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के सभी जनपदों में श्रम विभाग, उद्योग विभाग के सहयोग से स्वीप टीम द्वारा के आद्यौगिक क्षेत्रों, सिडकुल, मनरेगा जॉबकार्ड धारक श्रमिकों एवं सड़क निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों के साथ चौपाल कार्यक्रम आयोजित करते हुए मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सभी जनपदों में श्रमकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मतदाता शपथ भी दिलाई गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश व्यापक मतदाता जगरुकता अभियान के दृष्टिगत मई माह में अन्र्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को देखते हुए "माई वर्क माई च्वॉइस, माई वोट माई वॉइस" थीम तय की गई है। इस थीम पर पूरे माह सभी जनपदों के औद्यौगिक क्षेत्रों में मतदाता शिविर लगाए जाएंगे। अन्र्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्रमिको को लोकतंत्र में शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि औद्यौगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में मनरेगा जॉबकार्ड धारकों के साथ भी इस अभियान में संवाद किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक जो, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है वह फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ फार्म 7 के द्वारा मतदाता सूची में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना या अन्य व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्म 8 द्वारा विद्यमान मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार तथा निवास स्थानातरण आदि हेतु आवेदन किया जा सकता है। फार्म 6,7,8 बीएलओ, ईआरओ कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ऑनलाइन माध्यम हेतु www.voters.eci.gov.in,वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी हेतु मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 से माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।